

17/1/23  
Not Press

By me

Om



पत्रावली पेश हुई। न. न. उपस्थित।  
वकील अपीलान्त उपस्थित। अपीलार्थी के  
अधिकारता से उपस्थित होकर निवेदन  
किया कि अपीलान्त द्वारा पेशी नहीं  
करने की हिदायत की है। जिस  
कारण अपील अपीलान्त नोटप्रेस की  
है अतः विचाराधीन अपील तत्काल  
नोटप्रेस करने पर दारिद्र्य दफ्तर  
करने का आदेश करवाया जावे।  
अतः अधिकारता अपीलार्थी द्वारा  
अपील नोटप्रेस करने पर अपील  
रही स्तर पर स्वार्थ की जाती  
है आदेशिका की प्रति संबंधित  
तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली  
केसल शुमार की जाकर बाद तहसील  
दारिद्र्य दफ्तर से, आदेश सुनाया  
गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकर्ता)  
श्रीगंगानगर